R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 10
अप्रैल 2012

# मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

## नीति

### रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें

रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/ सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दरों को नीचे दर्शाए गए अनुसार 17 अप्रैल 2012 से को घटाया/समायोजित किया गया है:

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत **रिपो दर** में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 8.50 प्रतिशत से घटाकर 8.00 प्रतिशत किया गया है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत **प्रत्यावर्तनीय रिपो दर** 7.00 प्रतिशत पर स्वतः समायोजित हो गई है।

**सीमांत स्थायी सुविधा** (एमएसएफ) दर 9.00 प्रतिशत पर स्वतः समायोजित हो गई है।

व्यापक चलनिधि सुविधा प्रदान करने के लिए 17 अप्रैल 2012 से सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार सीमा को उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया गया है। बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिता के आधिक्य के बदले सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत ओवरनाइट निधियों तक अपनी पहुँच जारी रखेंगे।

### बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ

रिज़र्व बैंक से बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी)(संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) को उपलब्ध स्थायी चलनिधि सहायता 17 अप्रैल 2012 से प्रत्यावर्तनीय रिपो दर अर्थात् 8.00 प्रतिशत पर उपलब्ध होगी।

### बैंक दर

बैंक दर में 50 आधार अंक समायोजित करते हुए 17 अप्रैल 2012 से इसे 9.50 प्रतिशत से 9.00 प्रतिशत पर समायोजित किया गया है। प्रारक्षित अपेक्षाओं जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं में कमी पर सभी दण्डात्मक ब्याज दरें भी पृष्ठ सं. 2 पर दर्शाए गए अनुसार संशोधित की गई हैं।

## शाखा बैंकिंग

### लघु बचत योजनाएँ-ब्याज दर संशोधित

भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, 1968 (पीपीएफ,1968) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2004 (एससीएसएस, 2004) पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए ब्याज दरें 1 अप्रैल 2012 से इन योजनाओं में चक्रवृद्धि ब्याज/किए गए भुगतान के आधार पर निम्न प्रकार लागू होंगी :

| योजना | 1.12.2011 से ब्याज दर (प्रति वर्ष) | 1.04.2012 से ब्याज दर (प्रति वर्ष) |
|---|---|---|
| 5 वर्षीय एससीएसएस, 2004 | 9.0 प्रतिशत | 9.3 प्रतिशत |
| पीपीएफ, 1968 | 8.6 प्रतिशत | 8.8 प्रतिशत |

सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस,2004 योजनाएँ संचालित करनेवाली अपनी बैंक शाखाओं को संशोधित ब्याज दरों से अवगत कराएँ। यह जानकारी पीपीएफ, 1968 और एससीएसएस,2004 अंशदाताओं की सूचना के लिए बैंक शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाए।

### देरी से भुगतान के लिए क्षतिपूर्त्ति

एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे किसी निवेशक को राहत/बचत बॉण्डों में देरी से प्राप्ति/ब्याज वारंट/परिपक्वता मूल्य को देरी से जमा किए जाने के कारण हुई वित्तीय हानि के लिए प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की निर्धारित दर से क्षतिपूर्त्ति करें। रिज़र्व बैंक क्षतिपूर्त्ति दर की जब और जैसे उचित समझे समीक्षा कर सकता है।

यह स्मरण होगा कि 9 दिसंबर 2011 को एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे किसी निवेशक को राहत/बचत बॉण्डों में देरी से प्राप्ति/ब्याज वारंट/परिपक्वता मूल्य को देरी से जमा किए जाने के कारण हुई वित्तीय हानि के लिए संबंधित राशि हेतु (अर्थात् 1 लाख रुपए तक और 1 लाख रुपए से अधिक) बिना किसी भेदभाव के अपनी बचत बैंक दर से क्षतिपूर्त्ति करें।

## विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **नीति** | |
| रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें | 1 |
| बैंकों/प्राथमिक व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएँ | 1 |
| बैंक दर | 1 |
| **शाखा बैंकिंग** | |
| लघु बचत योजनाएँ-ब्याज दर संशोधित | 1 |
| देरी से भुगतान के लिए क्षतिपूर्त्ति | 1 |
| स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलना | 2 |
| **भुगतान प्रणालियाँ** | |
| केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की उप-सदस्यता | 2 |
| ईसीएस डेबिट अधिदेश | 3 |
| ऋण खातों में जमा हेतु आवक एनईएफटी स्वीकार करना | 3 |
| **फेमा** | |
| प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ।। - नॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति | 3 |
| समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश | 3 |
| बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति | 3 |
| **शहरी सहकारी बैंक** | |
| बिलों की भुनाई - प्रतिबंधित साखपत्र | 4 |
| **सूचना** | |
| बैंकों के पास अदावी जमाराशियाँ | 4 |
| **वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य** | **4** |

**बैंक दर से जुड़ी दण्डात्मक ब्याज दरें**

| मद | विद्यमान दर | संशोधित दर (17 अप्रैल 2012 से प्रभावी) |
|---|---|---|
| प्रारक्षित अपेक्षाओं में कमी पर दण्डात्मक ब्याज दरें (कमियों की अवधि पर आधारित) | बैंक दर से 3.0 प्रतिशत अंक अधिक (12.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अंक अधिक (14.50 प्रतिशत) | बैंक दर से 3.0 प्रतिशत अंक अधिक (12.00 प्रतिशत) अथवा बैंक दर से 5.0 प्रतिशत अंक अधिक (14.00 प्रतिशत) |

## स्वामित्व प्रतिष्ठानों के खाते खोलना

समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्वामित्व प्रतिष्ठान का खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात की निर्देशात्मक सूची में निम्नलिखित कागजात शामिल किए जाएँ।

(i) एकल स्वामी के नाम में आयकर के प्राधिकारियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित/स्वीकृत पूर्ण आयकर विवरणी (न कि सिर्फ पावती) जिसमें फर्म की आय दर्शाई गई हो ।

(ii) स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल जैसे उपयोगिता बिल ।

# भुगतान प्रणालियाँ

## केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली की उप-सदस्यता

समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है उप-सदस्यता मार्ग का विस्तार किया जाए ताकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) और वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) प्रणालियों में सभी लाइसेंसीकृत बैंक सहभागिता कर सकें। सभी लाइसेंसीकृत बैंकों के लिए यह एक वैकल्पिक सुविधा होगी जिनके पास प्रौद्योगिकी क्षमता तो है किन्तु उचित मानदण्डों को पूरा नहीं कर पाने अथवा लागत के कारण वे केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भाग नहीं ले रहे हैं। यह व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) उप-सदस्य अपने प्रायोजक बैंक जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का प्रत्यक्ष सदस्य है के माध्यम से केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में भाग लेंगे।

(ii) समय से जमा और चुकौती अनुशासन जो केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप-सदस्यों की शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली से तब तक दूर रखा जाए जब तक कि उन्हें कोर बैंकिंग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) प्रायोजक बैंक अपने उप-सदस्यों की ओर से लेनदेन/संदेश प्राप्त करने/भेजने के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) एक प्रायोजक बैंक द्वारा प्रायोजित किए जानेवाले उप-सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रायोजक बैंक को उप-सदस्यों को प्रायोजित करने से पहले परिचालनगत व्यवहार्यता, जोखिम कम करने, निधि के निपटान, संपार्श्विक इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

(v) प्रायोजक बैंक को उन उप-सदस्यों जिन्हें वे प्रायोजित करना चाहते हैं के लिए एक जोखिम प्रबंध ढाँचा और जोखिम प्रबंध पद्धतियों की निरंतर निगरानी के लिए एक प्रणाली लागू करनी चाहिए। जोखिम प्रबंध ढाँचा प्रायोजक बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

(vi) उप-सदस्यों द्वारा/उनके द्वारा लेनदेन का निपटान रिज़र्व बैंक के पास रखे प्रायोजक बैंकों के निपटान खातों में किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रायोजक बैंक उप सदस्यों द्वारा/उन्हें किए गए सभी लेनदेन के निपटान के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

(vii) प्रयोजक बैंकों को हर समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के संबंध में जारी नियमों, विनियमों, परिचालनगत आवश्यकताओं, अनुदेशों, आदेशों, निर्णयों आदि का अनुपालन करते हैं।

(viii) ग्राहकों की सभी शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी प्रायोजक बैंक की होगी। इस प्रक्रिया में सहायता के लिए प्रायोजक बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि उप-सदस्यों ने केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों, व्यवसाय नियमों और विनियमों में निर्धारित त्वरित और सक्षम तरीके से ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक पारदर्शी और मज़बूत व्यवस्था बनाई है ।

(ix) प्रायोजक बैंक और उप-सदस्यों के बीच सभी विवादों का समाधान उनके बीच द्विपक्षी रूप से किया जाएगा ।

(x) प्रायोजक बैंक को यह बात रिज़र्व बैंक के ध्यान में तुरंत लानी चाहिए यदि उसका कोई उप-सदस्य-

- किसी संदिग्ध लेनदेन, धोखाधड़ी आदि में शामिल है;
- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में अपनी सहभागिता में कोई अनुचित प्रणाली का प्रयोग करता है; और
- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के नियमों, विनियमों, परिचालनगत आवश्यकताओं, अनुदेशों आदि का अनुपालन नहीं करता है।

(xi) प्रायोजक बैंकों के लिए किसी उप-सदस्य/सदस्यों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में प्रायोजन के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है। तथापि, जब-जब वे उप-सदस्यों को प्रायोजित करते हैं उन्हें उप-सदस्यों का ब्योरा, उप-सदस्यों की शाखा/शाखाओं को आबंटित आइएफएससी/एमआइसीआर कोड, उप-सदस्यता के आरंभ की तारीख आदि की जानकारी रिज़र्व बैंक को तुरंत देनी चाहिए।

(xii) उनके और उप-सदस्यों के बीच प्रायोजन व्यवस्था के समापन के मामले में रिज़र्व बैंक को तुरंत जानकारी देनी चाहिए।

(xiii) उप-सदस्यों के ग्राहक लेन-देन का प्रभार प्रायोजक बैंकों के ग्राहकों/ /केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली अर्थात् आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्यों पर लागू प्रभारों से अधिक नहीं होना चाहिए।

## ईसीएस डेबिट अधिदेश

यह देखते हुए कि बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) पर इसके अनुदेशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं, रिज़र्व बैंक ने पुनः यह दुहराया है कि -

(ए) ग्राहकों द्वारा अपने खाते में नामे को प्राधिकृत करने के लिए संपादित सभी नामे अधिदेश लक्ष्य बैंकों द्वारा प्रमाणीकृत और संग्रहीत किए जाएँ। ग्राहकों के खातों में कोई नामे केवल वैध अधिदेश के आधार पर ही किया जाएगा। यदि ऐसे अधिदेश उनके अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं तो ग्राहकों के खाते में ऐसे नामे डालने के लिए बैंक प्राधिकृत नहीं हैं।

(बी) खाताधारक को अधिदेश में प्रत्येक अलग-अलग लेनदेन के लिए एक उच्चतर सीमा डालने की सुविधा और/अथवा अंतिम उपयोगकर्ता/लक्ष्य बैंकर द्वारा किसी खास ईसीएस अधिदेश (अधिदेश की कार्यावधि) के परिचालन की समय सीमा की सुविधा भी दी जाए। किसी ग्राहक के खाते में नामे ग्राहक द्वारा निर्धारित उस राशि और समय सीमाओं के भीतर होनी चाहिए।

(सी) ग्राहक द्वारा अधिदेश की वापसी पर कोई अनुदेश ग्राहक को हिताधिकारी उपयोगकर्ता संस्था से वापसी के लिए पूर्व सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने की ज़रूरत के बिना लक्ष्य बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाएँ तथा उसे चेक समाशोधन प्रणाली में " भुगतान पर रोक" के बराबर माना जाए। अधिदेश वापसी के लिए ऐसे अनुदेशों की प्राप्ति के बाद खाते में किसी नामे की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी एक खाते में बहु-अधिदेशों की संभावना की दृष्टि से बैंक सही अधिदेश की वापसी दर्ज करने में सावधानी बरतें।

## ऋण खातों में जमा हेतु आवक एनईएफटी स्वीकार करना

रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सूचित किया है कि ऋणों की समान मासिक किस्तों (ईएमआई)/चुकौती आदि का भुगतान करने के लिए ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) को चुनने की भी अनुमति दी जाए।

# फेमा

## प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी ।। - नॉस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। को अब विदेश में निजी/कारोबारी यात्रा पर जाने वाले निवासियों को, केवाईसी/एएमएल/सीएफटी अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन, विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए अनुमति दी गई है। तथापि, विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्डों के संबंध में भुगतान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों के जरिये किया जाए।

विप्रेषणों को भेजने में अधिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-।। बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के तहत नॉस्ट्रो खाते खोलने के लिए अनुमति भी दी गई है:

(i) प्रत्येक करेंसी के लिए केवल एक नॉस्ट्रो खाता खोला जाए;

(ii) इस खाते में जमा-शेष-राशि का उपयोग अनुमत प्रयोजनों हेतु किए गए विप्रेषणों के निपटान के लिए ही किया जाए और उसका उपयोग विदेशी मुद्रा के प्रीपेड कार्डों के भुगतान के लिए नहीं किया जाए;

(iii) इस खाते में कोई निष्क्रीय शेष राशि न रखी जाए; और

(iv) वे समय-समय पर निर्धारित रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन होंगे।

## समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

भारतीय पार्टी द्वारा भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलने/धारण करने/बनाए रखने से संबंधित विनियमों को अब उदार बनाया गया है। भारतीय पार्टी अब समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित शर्तों के तहत विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है/धारण कर सकती है /उसे बनाए रख सकती है:

(i) भारतीय पार्टी, समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा.120/आरबी- 2004 के विनियम 6 (यदि लागू हो तो विनियम 7) के अनुसार समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के लिए पात्र हो।

(ii) मेजबान देश के विनियम यह विनिर्दिष्ट करते हों कि उस देश में निवेश नामित खाते के माध्यम से करना अपेक्षित है।

(iii) मेजबान देश के विनियमों के अनुसार विदेशी मुद्रा खाता खोला, धारण किया और बनाए रखा जाएगा।

(iv) भारतीय पार्टी द्वारा विदेशी मुद्रा खाते में विप्रेषित राशि का उपयोग विदेश स्थित संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश करने के प्रयोजन के लिए ही उपयोग में लायी जाएगी।

(v) उल्लिखित सहायक कंपनी से लाभांश और/या अन्य पात्रता के रूप में उक्त खाते में प्राप्त राशि ऐसे खाते में जमा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी।

(vi) विदेशी मुद्रा खाते से किए गए नामे और जमा के ब्योरे भारतीय पार्टी अपने सांविधिक लेखापरीक्षक के इस आशय के प्रमाण पत्र कि वे मेजबान देश के कानूनों और मौजूदा फेमा विनियमों /लागू उपबंधों के अनुसार रखे गए हैं, के साथ वार्षिक आधार पर अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत करे।

(vii) इस प्रकार खोले गए विदेशी मुद्रा खाते संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी में विनिवेश होते ही या समाप्ति की तारिख से 30 दिनों के भीतर बंद कर दिए जाएंगे।

## बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) से संबंधित नीति की समीक्षा करने और यूनियन बजट 2012-13 में की गई घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर मौजूदा दिशानिर्देशों को और युक्तिसंगत तथा उदार बनाया गया है।

## ऊर्जा क्षेत्र के लिए पुनर्वित्त सीमा में वृद्धि

ऊर्जा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अब अनुमोदन मार्ग से लिए गए नए बाह्य वाणिज्यिक उधार में से 40 प्रतिशत का उपयोग घरेलू बैंकिंग प्रणाली से लिए गए रुपया ऋण/ऋणों के पुनर्वित्त हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते लिए जाने वाले प्रस्तावित नए बाह्य वाणिज्यिक उधार की 60 प्रतिशत राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना/परियोजनाओं में नए पूंजी व्यय के लिए किया जाए।

## सड़कों/महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली का रखरखाव/परिचालन

सड़कों और महामार्गों के लिए चुंगी प्रणाली के रखरखाव और परिचालन के लिए स्वचालित मार्ग से पूँजी व्यय और बाह्य वाणिज्यिक उधार की अनुमति भी दी जाएगी बशर्ते वह मूल परियोजना का हिस्सा हो।

प्रत्येक महीने के कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चैनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

## पुनर्वित्तीयन/पुनर्निर्धारण

किसी विद्यमान बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तीयन के लिए इच्छुक उधारकर्ताओं को अब यह अनुमति दी गई है कि वे मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार के पुनर्वित्तीयन/ऋण की अवधि के पुनर्निर्धारण हेतु अनुमोदन मार्ग के तहत उच्चतर समग्र लागत पर बाह्य वाणिज्यिक उधार ले सकते हैं बशर्ते बढ़ी हुई समग्र लागत मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम लागत से अधिक न हो ।

# शहरी सहकारी बैंक

## बिलों की भुनाई - प्रतिबंधित साखपत्र

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को मार्च 2004 में अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि उन्हें केवल अपने ऐसे उधारकर्ता ग्राहकों के लिए साखपत्र (एलसी) के अंतर्गत बिलों की खरीद / भुनाई/बेचान करना चाहिए जिन्हें नियमित ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं।

इन अनुदेशों की समीक्षा के उपरांत रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि साखपत्र के अंतर्गत आहरित बिल किसी खास शहरी सहकारी बैंक तक प्रतिबंधित होने तथा साखपत्र का हिताधिकारी नियमित ऋण सुविधा प्राप्त उधारकर्ता न होने की स्थिति में संबंधित शहरी सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार तथा साखपत्र जारी करनेवाले बैंक के साख के संबंध में अपनी धारणा के आधार पर, इस प्रकार के साखपत्रों का बेचान कर सकता है; बशर्ते साखपत्र से प्राप्त होनेवाली राशि हिताधिकारी के नियमित बैंकर को प्रेषित की जाएगी । तथापि, जिन उधारकर्ताओं को नियमित ऋण सुविधा मंजूर नहीं की गई है, उनके अप्रतिबंधित साखपत्रों के बेचान पर लागू प्रतिबंध जारी रहेगा ।

# सूचना

## बैंकों के पास अदावी जमाराशियाँ

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास 31 दिसंबर 2011 तक अदावी जमाराशियों के रूप में 11249844 खातों में 2481.39 करोड़ रुपए की कुल राशि पड़ी हुई है। इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि-

- वे ऐसे खाताधारकों का पता-ठिकाना खोजने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएँ जिनके खाते निष्क्रीय पड़े रहे हैं।
- वे ऐसे खातों की वार्षिक समीक्षा करें जिसमें एक वर्ष से अधिक से परिचालन न हुआ हो।
- मौजूदा ऐसे खातों के संदर्भ में ग्राहकों/कानूनी वारिसों का पता-ठिकाना ढूँढ़ने के लिए विशेष अभियान शुरु किया जाए जिन्हें पहले से ही "निष्क्रीय खातों" की पृथक खाता बही में अंतरित कर दिया गया है।
- ऐसे खातों में समुचित सावधानी बरते जाने के बाद परिचालन करने की अनुमति दी जाए और निष्क्रीय खातों को सक्रिय बनाने के लिए कोई प्रभार न लगाया जाए।
- ऐसी अदावी जमाराशियों/निष्क्रीय खातों की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें जो दस वर्ष या अधिक समय से निष्क्रीय हों। वेबसाइटों पर इस तरह प्रदर्शित सूची में अदावी जमाराशि/निष्क्रीय खातों के संदर्भ में केवल खाताधारक(खाताधारकों) के नाम और उनके पते होने चाहिए।
- वेबसाइट पर अदावी जमाराशि का दावा करने/निष्क्रीय खातों को चालू करने की प्रक्रिया और उसका दावा करने के लिए ज़रूरी प्रपत्रों एवं दस्तावेजों का विवरण दें।
- वे 30 जून 2012 तक इस प्रक्रिया को पूरी कर लें।
- यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परिचालनगत पूर्वोपाय करें कि दावेदार वास्तविक व्यक्ति हों। *(स्रोतः संसदीय प्रश्न)*

## वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 17 अप्रैल 2012 को वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति प्रस्तुत किया। मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

### अनुमान

- वर्तमान वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि का रिज़र्व बैंक का प्रारंभिक अनुमान 7.3 प्रतिशत है।
- मार्च 2013 के लिए मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत अनुमानित की गई।
- वर्ष 2012-13 के लिए एम3 वृद्धि 15 प्रतिशत अनुमानित की गई।

### रूझान

- नीति दरों को उन स्तरों तक समायोजित किया जाए जो वर्तमान सामान्य वृद्धि के अनुरूप हों।
- माँग संचालित मुद्रास्फीतिकारी जोखिमों के दबावों को पुनः उभरने से रोका जाए।
- वित्तीय प्रणाली को व्यापक चलनिधि सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

### मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.75 प्रतिशत रखा गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 8.5 प्रतिशत से घटाकर 8.0 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर से कम 100 आधार अंकों के अंतर पर निर्धारित प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर जो रिपो दर से अधिक 100 आधार अंकों के अंतर पर है, वह 9.0 प्रतिशत समायोजित की गई।

### अपेक्षित परिणाम

नीति कार्रवाइयों और मार्गदर्शन से यह आशा की जाती है कि:

- संकट के बाद की अपनी वर्तमान प्रवृत्ति के आस-पास वृद्धि स्थिर रहेगी।
- मुद्रास्फीति के जोखिम और मुद्रास्फीति की फिर से उभरनेवाली अपेक्षाएं नियंत्रित रहेंगी।
- प्रणाली को उपलब्ध चलनिधि सुविधा बढ़ जाएगी।

**अल्पना किल्लावाला** द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

**ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**